FORM No. 111

फर्द्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत.....जिला कलक्टर.....मुकाम.....श्रीगंगानगर.....

.....भैरू सिंह.....बनाम.....श्रीमति गंगा कंवर वगैरा.....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किस्म मुकदमा–मुन्तकिली प्रा0 पत्र

RCMS 2018/00022

प्रकरण सं0:– 18/2018

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख
09–01–2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भैरू सिंह के अभिभाषक श्री राम सिंह ढाका उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया। प्रार्थी भैरू सिंह के अभिभाषक श्री राम सिंह ढाका का कथन है कि अतिरिक्त जिलाधीश, सूरतगढ़ के न्यायालय में अपील सं0 67/2015 अनवानी भैरू सिंह वगैरा बनाम श्रीमति गंगा कंवर वगैरा लंबित है जिसमें तारीख पेशी 09.01.2018 बहस के लिए नियत है और उक्त प्रकरण में गत तारीख पेशी 05.01.2018 बहस प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 एवं दस्तावेजात पेश करवाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए मुकरर्र थी किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रो को दरकिनार कर कहा कि दिनांक 09.01.2018 को मैं अन्तिम फैसला कर दूंगा। उनका आगे कथन है कि मातहत अदालत ओमप्रकाश वगैरा से साज बाज किये हुए है और उनके हक में फैसला करना चाहते है जिससे प्रार्थी का मातहत अदालत पर विश्वास उठ गया है। उनका आगे कथन है कि जब तक आदेश 41 नियम 27 एवं दस्तावेजात को अप्रार्थीगण ओमप्रकाश वगैरा से तलब करवाने एवं अदालत में पेश करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पर निर्णय नही हो जाता तब तक अन्तिम निर्णय नही किया जा सकता। यदि ऐसा कर दिया गया तो प्रार्थी को न्याय नही मिलेगा। किन्तु मातहत अदालत दिनांक 09.01.2018 को अन्तिम फैसला करने पर अडिग है जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। उनका आगे यह भी कथन है अप्रार्थी संख्या 1 गंगाकंवर की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान संख्या 2 ता 5 पहले से ही रिकार्ड पर है। अप्रार्थी सं0 6 ता 10 जाति से बिश्नोई है तथा सुलतान सिंह जाति से राजपूत है जिसने अपने सगे पुत्र पुत्रीयों व औरत को छोडकर बिना किसी खून के रिश्ते में तथाकथित वसीयत करना बतलाया है जो विधि के विरूद्ध है। प्रार्थी को मातहत अदालत से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में लंबित उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।	

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश, सूरतगढ़ में अपील संख्या 67/2015 अनवानी भैरू सिंह वगैरा बनाम श्रीमति गंगा कंवर वगैरा लंबित है जिसमें निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और प्रार्थी के कथनानुसार दिनांक 09.01.2018 की तारीख पेशी बहस के लिए नियत है और दिनांक 05.01.2018 बहस प्रार्थना पत्र आदेश 41 निम 27 एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए नियत थी किन्तु अतिरिक्त जिलाधीश, सूरतगढ़ द्वारा उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो को दरकिनार करते हुए कहा कि वे दिनांक 09.01.2018 को प्रकरण का अन्तिम निर्णय कर देगें। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता हो कि यदि प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल नही किया गया तो प्रार्थी को वास्तव में निष्पक्ष रूप से न्याय नही मिलेगा। ऐसा आरोप कभी भी, किसी भी समय, किसी पर लगाया जा सकता है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है।

जहां तक सुलतान सिंह द्वारा प्रकरण से संबंधित वादग्रस्त भूमि की वसीयत अप्रार्थी संख्या 6 ता 10 के पक्ष में विधि विरूद्ध है तथा सही साबित नही होती है। इस संबंध में इस न्यायालय को गुण दोष पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है और यह कारण भी मुकदमा मुन्तकिली के लिए उचित कारण प्रतीत नही होता है। इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ही विचार किया जाना है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र एडमिशन की स्टेज पर सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नही होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पर दिनांक 08.01.2018 एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिलाधीश, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09–01–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर